रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239005
CG-DL-E-23092022-239005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2022/भाद्र 30, 1944
No. 464] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022/BHADRA 30, 1944

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

विधिज्ञ परिषदों के चुनाव संबंधी भारतीय विधिज्ञ परिषद समान्य नियम (और अनिवार्य दिशा निर्देश) 2016

उद्देश्य और कारणः—

हाल के दिनों में भारतीय विधिज्ञ परिषद ने राज्य विधिज्ञ परिषदों के चुनाव में कदाचार के कुछ उदाहरण देखे हैं। इसी तरह, भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव में भी, चुनाव विवादों से संबंधित परिषद को लगातार चुनाव याचिकाएँ मिल रही हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद का चुनाव इसका सबसे खराब उदाहरण है जहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने भी जांच के बाद मत पत्रों में हेर–फेर पाया। सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद के चुनाव में, जो राज्य विधिज्ञ परिषद में होता है, संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद के सचिव ऐसे चुनावों के लिए चुनावाधिकारी/चुनाव प्रवेक्षक के रुप में कार्य करते हैं, जिनसे अक्सर पूछताछ भी की जाती है। भारतीय विधिज्ञ परिषद में सदस्य प्रतिनिधियों के चुनाव का विवाद पंजाब व हरियाणा राज्य विधिज्ञ परिषद, केरल राज्य विधिज्ञ परिषद, मध्य प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद, छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद से आया था। मध्य प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद का मामला उच्च न्यायालय तक जा चुका है। इसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद का बहुत ही कीमती समय लगता है, इसके अलावा जब ऐसे मामले भारतीय विधिज्ञ परिषद के समक्ष निर्णय के लिए आते हैं तो यह अनावश्यक विवादों को जन्म देता है।

इसलिए, भारतीय विधिज्ञ परिषद ने राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य विधिज्ञ परिषदों के चुनाव के लिए ये समान्य नियम बनाये हैं, जिसमें राज्य विधिज्ञ परिषद और राज्य विधिज्ञ परिषद से भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय विधिज्ञ परिषद को राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनाव लड़ने के लिए पात्रता के लिए कुछ निश्चित वकालत की अवधि निर्धारित करने के लिए कुछ निदश जारी किये हैं। परिषद ने यह भी देखा है कि राज्य विधिज्ञ परिषदों में अनुभवहीन और अपरिपक्व अधिवक्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण, विधिज्ञ परिषदों में अनावश्यक हड़ताल, बहिष्कार और कार्य अवरोध आदि को रोकने में असमर्थ है। विधिज्ञ परिषदों में दिन ब दिन वकालत व्यवसाय से विरक्त अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नतीजन विधिज्ञ परिषद इसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है। विधिज्ञ परिषद के कुछ सदस्य स्वयं ही आधारहीन हड़ताल के लिए लगातार अवाहन करने में शामिल हैं, जिससे वकालत पेशे की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचता है और असहाय गरीब वादियों को अपूर्णनीय क्षति होती है।

यह भी अनुभव किया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी विधिज्ञ संघ (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी या राज्य विधिज्ञ परिषद या उच्च न्यायालय या स्थानीय जिला न्यायालय या तालुका न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त विधिज्ञ संघ) के पदाधिकारी हैं, यदि राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रुप में चुने जाने पर, व राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रुप में अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाना शुरु कर देते हैं।

विधिज्ञ संघों के छोटे–छोटे मुद्दों को भी ऐसे सदस्यों द्वारा पूरे राज्य का मुद्दा बना दिया जाता है और कई बार किसी विशेष एसोसिएशन के मुद्दों/विवादों के कारण पूरे राज्य में हड़ताल, बहिष्कार और कार्य अवरोध का आह्वान किया जाता है। इतना ही नहीं ऐसे पदाधिकारी राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनाव में भी अपने पदों का अनुचित लाभ उठाते हैं। इसके अलावा, इस तरह की प्रथा संघों में समूहवाद के रवैये को प्रोत्साहित करती रही है।

विधिज्ञ संघों की किसी भी चुनाव विवाद को परिषद के समक्ष आने की स्थिति में, जिसमें किसी विधिज्ञ परिषद के सदस्य का कोई हित हो, राज्य विधिज्ञ परिषदों में अपना अनुचित प्रभाव डालने में सफल होते हैं और विवाद को अपने हित में निपटवाते है। इसलिए, परिषद ने इस तरह की प्रथा को रोकना आवश्यक समझा है।

किसी भी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी राज्य विधिज्ञ परिषद का चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे। हालाँकि, कार्यवाहक शब्द में केवल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव शामिल होंगे।

उपरोक्त पदों से न्यून पदों के पदाधिकारी राज्य विधिज्ञ परिषद का चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। इसके अलावा चूँकि उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संघ के पदाधिकारियों को भी किसी स्थानीय विधिज्ञ संघों के चुनाव विवादों में शामिल नहीं होना चाहिए और उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संघ के पदाधिकारी जो कि देश के विभिन्न राज्यों के सदस्य हैं, ऐसे उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संघ के पदाधिकारी जो जिन राज्य विधिज्ञ परिषदों में नामांकित है उस राज्य विधिज्ञ परिषद में उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है।

परिषद ने विधिज्ञ परिषद की सदस्यता के लिए अलग से नियम भी बनाया है। इसलिए, राज्य विधिज्ञ परिषद और भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव में चुनावी सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय विधिज्ञ परिषद ने राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनावों के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश निर्धारित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाये हैं और यदि आवश्यक हो तो राज्य विधिज्ञ परिषद के इन नियमों में जल्द ही संसोधन किया जाये ताकि इन नियमों और दिशा निदशों के उल्लघंन में अब से कोई चुनाव नहीं कराया जायेगा।

अध्याय 1

लघु शीर्षक

इन नियमों को 'विधिज्ञ परिषदों के चुनाव संबंधी भारतीय विधिज्ञ परिषद समान्य नियम (और अनिवार्य दिशा निर्देश) 2016 कहा जायेगा।

1. विस्तार

ये नियम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत गठित सभी विधिज्ञ परिषदों और उन सभी अधिवक्ताओं पर लागू होंगे जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 17 के तहत राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाये जो रहे राज्य अधिवक्ता नामांकन संलग्नक में अंकित हैं।

2. प्रारंभ अथवा लागू होने की तिथि

ये नियम भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(क) अधिनियम का अर्थ है अधिवक्ता अधिनियम 1961 से है।

(ख) अधिवक्ता का अर्थ एक अधिवक्ता के रुप में जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 17 के तहत राज्य विधिज्ञ परिषद के द्वारा बनाये जा रहे अधिवक्ताओं की सूची में दर्ज किया गया हो।

(ग) राज्य विधिज्ञ परिषद का अर्थ अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3(1)(अ) के तहत परिभाषित राज्य विधिज्ञ परिषद से है।

(घ) एक अव्यावसायिक (Non-Practicing) अधिवक्ता का अर्थ किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद में नामांकित एक वकील से है जो कानूनी व्यवसाय से विरक्त है और किसी अन्य सार्वजनिक या निजी नौकरी, व्यवसाय, अनुबंध इत्यादि में लगा हुआ है और जो भारतीय विधिज्ञ परिषद के बीसीआई सर्टिफिकेट और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 के नियम 13 और नियम 20.2 के तहत अव्यावसायिक (Non-Practicing) अधिवक्ता के रुप में घोषित किया गया है या जिनका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद और भारतीय विधिज्ञ परिषद के द्वारा बनाए गए सत्यापित अधिवक्ताओं के रजिस्टर में नहीं है।

(ड़) नकली व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कानून में वैध डिग्री (किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद में पंजीकरण के बिना) के बिना कानून/अधिकरण या अन्य कानूनी मंचों के न्यायालयों में अभ्यास करने में शामिल है और ऐसे न्यायालयों, न्यायाधिकरणों में उपस्थित होने के लिए उपयोग करता है या मंचों ने उन्हें अवैध रुप से एक वकील के रुप में पेश किया।

(च) बार एसोसिएशन (विधिज्ञ संघ) शब्द में अधिवक्ताओं को कोई भी संघ शामिल होगा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, जो या तो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है या राज्य विधिज्ञ परिषद या उच्च न्यायालय या स्थानीय जिला या तालुका, उपमंडल न्यायालय या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त है।

(छ) बार एसोसिएशन के पदाधिकारीः—पदाधिकारी शब्द का अर्थ विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव या सचिव शामिल होंगे, लेकिन इसमें संयुक्त सचिव, सहायक या कोई अन्य पदाधिकारी शामिल नहीं होंगे। बशर्ते कि यह प्रतिबंध उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संघ के पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

अध्याय -II

चुनाव अधिकारी/चुनाव प्रवेक्षकः—

किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनावों का संचालन करने वाला चुनाव प्रभारी/चुनाव प्रवेक्षक किसी भी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के रुप में कम से कम 7 साल का अनुभव रखता हो या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में होगा। लेकिन अगर अन्य राज्यों के ऐसे न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं तो मुख्य न्यायाधीश या अपने राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद के अनुमोदन से राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा चुनाव अधिकारी/चुनाव प्रवेक्षक नियुक्त/नामांकित किया जायेगा।

सहायक चुनाव अधिकारी/चुनाव प्रवेक्षकः—

दो सहायक चुनाव प्रवेक्षक होंगे जिन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद के अनुमोदन से राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा नामित किया जायेगा। ये सहायक चुनाव अधिकारी कम से कम 25 वर्षों के स्थायी अधिवक्ता व्यवसाय वाले कुछ अन्य राज्यों के अधिवक्ता होंगे, लेकिन अगर ऐसे अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी राज्य के अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जा सकता है।

चुनाव कराने और मतगणना (मतपत्र) के लिए कर्मियों को किसी अन्य राज्य से चुनाव अधिकारी की सलाह पर काम पर रखा जाएगा। मतगणना दल को राज्यसभा चुनाव या राज्य विधिज्ञ परिषद चुनाव में मतों की गणना का पर्याप्त अनुभव होने पर उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनावों में, प्रत्येक मतदाता को अपने मतपत्रों पर कम से कम 5 वरीयताएँ/विकल्पों को प्रयोग करना होगा, ऐसा न करने पर चुनाव अधिकारी के विवेक के आधार पर मतपत्र को अमान्य घोषित किया जा सकता है। एक अधिवक्ता किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसे नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

अध्याय -III

विधिज्ञ संघ के पदाधिकारी विधिज्ञ परिषद के सदस्य बनने के लिए अपात्रः–

एक अधिवक्ता, जो किसी भी विधिक संघ (विधिज्ञ संघ को छोड़कर) का पदाधिकारी है, राज्य विधिज्ञ परिषद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, यदि ऐसे पदाधिकारी ने राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनाव की अधिसूचना की तारीख पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वह राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनाव लड़ने का हकदार होगा।

चुनाव अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति के नामांकन पत्र को अस्वीकार कर देगा जो राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनाव की अधिसूचना की तिथि पर किसी भी विधिज्ञ संघ के पदाधिकारी थे।

अध्याय -IV

प्रारंभिक और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के समय जिन्होंने भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम खंड 6 के नियम 40 के तहत अधिवक्ता कल्याण की सदस्यता राशि का भुगतान नहीं किया है वे अयोग्य हैं।

सत्यापन नियम 2015 के तहत गैर व्यवसायिक अधिवक्ताओं की सूची के प्रकाशन के तुरंत बाद प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा गैर अधिवक्ता व्यवसाय की अधिवक्ताओं की सूची प्रत्येक बार एसोसिएशन को भेजी जायेगी और नियम 40 के तहत अधिवक्ता कल्याण राशि भुगतान न करने के बारे में स्पष्ट रुप से उल्लेख होगा और डाक के माध्यम से उक्त व्यक्ति को भी भेजे जायेंगे। यदि अधिवक्ता ने भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम खंड 6 के नियम 40 के तहत अधिवक्ता कल्याण की सदस्यता राशि का भुगतान नहीं किया है तो नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर, उसका नाम अधिवक्ताओं की सूची से हटा दिया जाएगा और उसे राज्य विद्यिज्ञ परिषद् या किसी अधिवक्ता संघ के मतदाताओं की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। नोटिस का प्रारूप भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा सभी राज्य विद्यिज्ञ परिषदों को भेजा जायेगा।

नोटिस के इस तरह के प्रकाशन के स्पष्ट 160 दिनों के बाद, राज्य विद्यिज्ञ परिषद् अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा जिसमें उन सभी अधिवक्ताओं के नाम होंगे, जिन्हें भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस का स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 के अध्याय -VI के तहत गैर अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है और जिन्होंने भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के नियम के भाग-VI अध्याय -II के नियम 40 के के अनुसार आवश्यक कल्याण राशि का भुगतान कर दिया है और जिन्होंने भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् का परीक्षा उत्तीर्ण की है। (शर्त का यह भाग केवल उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो 2010 के बाद नामांकित हुए है।) किसी भी राज्य विद्यिज्ञ परिषद् का चुनाव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गैर–अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं की सूची सत्यापन नियमों के अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं हो जाती।

सत्यापन नियमों के तहत यथा उपबंधित अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि चुनाव अधिकारी द्वारा समाचार पत्र के साथ साथ विद्यिज्ञ परिषद के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। विद्यिज्ञ परिषद नोटिस की प्रति सभी अधिवक्ता संघों को भी सूचनार्थ भेजेगी। हालांकि, इन नियमों के तहत नोटिस की किसी भी अनियमितता के आधार पर किसी भी चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। अध्याय IV मतदाता सूची में मतदाता की तस्वीर (उसके नाम के विपरीत) की चिपकाई गई (स्कैन की गई) प्रति होगी जो सत्यापन फॉर्म में संलग्न फोटो से ली जाएगी।

अध्याय V

नामांकन शुल्कः–राज्य विद्यिज्ञ परिषद् के चुनाव के लिए नामांकन शुल्क प्रत्येक उम्मीदवार से 30,000/– रूपये होगा। नामांकन शुल्क वापसी नही होगा और इसका उपयोग चुनाव के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। शेष राशि, यदि कोई हो, राज्य विद्यिज्ञ परिषद् की परोपकारी निधि में जमा की जाएगी।

चुनाव और मतगणना की समय सीमाः–राज्य विद्यिज्ञ परिषद् का चुनाव अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की भीतर होगा। तथापि, यदि किसी कारण से 60 दिनों की इस अवधि के भीतर चुनाव नहीं होते हैं, तो मतदाताओं की नई सूची तैयार की जाएगी, जिसमें उन सभी नए नामांकित अधिवक्ताओं के नाम शामिल होंगे, जिन्होने चुनाव और चुनाव प्रक्रिया के लिए नए सिरे से तय की गई तारीख से 75 दिन पहले नामांकन कराया था

और चुनाव की प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ होगी। मतगणना मतदान पूर्ण होने की तिथि से 15 दिनों की भीतर अधिमानतः शुरू हो जाएगी।

सभी राज्य विधिज्ञ परिषद् जहां तक संभव हो, गिनती की प्रक्रिया शुरू होने के दिन से 30 दिनों की अवधि के भीतर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मतगणना का स्थान, समय, प्रक्रिया आदि चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी के विवके पर निर्भर करेगा।

चुनाव अधिकारी मतपत्रों की सुरक्षा और मतगणना में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। लेकिन साथ ही, वह मतपत्रों और मतगणना कर्मचारियों को किसी भी गैरकानूनी सभा, सनुचित दबाव या गुंडागर्दी से बचाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगा। यदि आवश्यक हो तो वह राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से उच्च पुलिस अधिकारियों को लिखकर स्थानीय पुलिस की मदद ले सकता है।

अध्याय VI

चुनाव न्यायाधिकरण :—प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद् के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद से संबंधित किसी भी चुनावी याचिका पर निर्णय लेने के लिए एक राज्य चुनाव न्यायाधिकरण होगा। इस न्यायाधिकरण का नेतृत्व उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा किया जाएगा। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य किसी अन्य राज्य से होंगे, न कि उस राज्य से जहां राज्य विधिज्ञ परिषद् स्थित है। न्यायाधिकरण का गठन भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अनुमोदन से राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया जाएगा।

नोटः— यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य राज्य का अर्थ एक न्यायाधीश जिसका स्थायी निवास उस राज्य में नहीं है जहां राज्य विधिज्ञ परिषद् स्थित है। एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या एक पूर्व न्यायाधीश जिन्होनें पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश के रूप में सेवा कि थी, जहां राज्य विधिज्ञ परिषद् स्थित है, लेकिन किसी अन्य राज्य से संबंधित है, उन्हें चुनाव अधिकारी या चुनाव न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

राज्य विधिज्ञ परिषद् के चुनाव अधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ भारतीय विधिज्ञ परिषद् के चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष अपिल की जा सकती है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् चुनाव अधिकरण की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा कि जायेगी और इसमें उच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीश और दो वरिष्ठ अधिवक्ता होंगे। भारतीय विधिज्ञ परिषद् माननीय पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहमति लेने के बाद, चुनाव अधिकरण का गठन करेगा। भारतीय विधिज्ञ परिषद् चुनाव अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। उस न्यायाधिकरण के पास चुनाव विवाद में निर्णय लेने की शक्ति होगी और जब भी ऐसा करने की आवश्यकता महसूस हो, अन्तरिम आदेश पारित करने की सभी शक्तियां होगी।

विविधः—

अधिभावी प्रभाव वाले नियम :—इन नियमों के प्रावधान, राज्य विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के चुनावों के संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद् या किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद् के अन्य सभी पिछले नियमों पर अधिभावी प्रभाव डालेंगे।

कठिनाइयों का निवारण :—इन नियमों के अर्थ, व्याख्यान, निष्पादन के संबंध मं कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होने पर, ऐसे मुद्दों को निपटाने का अन्तिम अधिकार और उस पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकारी भारतीय विधिज्ञ परिषद् का होगा।

श्रीमंतो सेन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./286/2022-23]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

Bar Council of India Uniform Rules (and Mandatory Guidelines) for the Elections of Bar Councils, 2016

Objects and Statements

In recent past the Bar Council of India has noticed some instances of mal-practice in the elections of State Bar Councils. Similar in the case in the elections of member, Bar Council of India also.

The Council has been receiving frequent Election Petitions relating to election disputes.

The elections of State Bar Council of Chhattisgarh is the worst illustration where even the Hon'ble High Court, after enquiry, found manipulations in the Ballot papers. In the elections of Member, Bar Council of India which takes place in the State Bar Council, the Secretary of concerned State Bar Council acts as Returning Officer for such elections which is also being questioned frequently. The disputes of election of member-representatives in Bar Council of India came from Punjab & Haryana Bar Council, Kerala Bar Council, Madhya Pradesh Bar Council, Chhattisgarh Bar Council. The matter of Madhya Pradesh Bar Council has gone upto High Court. It consumes a lot of valuable time of Bar Council of India, moreover it leads to unnecessary controversies when such matters come for adjudication before the Bar Council of India.

Therefore, the Council , in order to make the elections of State Bar Council fair and transparent, has framed these Uniform Rules for elections of State Bar Council laying down the mandatory guidelines for the conduct of elections of State Bar Councils and also of member, Bar Council of India from the State Bar Councils.

The Madras High Court has issued certain directions to the Bar Council of India for prescribing certain definite requirement of length of practice for the eligibility to contest the elections of the State Bar Councils. The Council has also been noticing that due to increase in the number of inexperienced and immature Advocates in the State Bar Councils, the Bar Councils are unable to stop/curb the unnecessary calls for strikes, boycotts, abstentions etc. The number of "non-practising Advocates" are increasing day by day in the Bar Councils. As a result the Bar Councils are unable to discharge the functions assigned to it. Some of the Members of Bar Councils itself are involved in giving frequent calls for strikes on baseless grounds causing serious harm to the reputation of the profession and irreparable loss to the poor helpless litigants.

It has also been experienced that the persons who are office-bearers of any Bar Associations (a society registered under the Society Registration Act, or an Association recognized by the State Bar Council or High Court or the local District Court or Taluka Court), if elected as a Member of the State Bar Council, he starts taking undue advantage of his position as a member of the State Bar Council.

Even on smaller issues of Bar Associations are made issues of entire State and many a times the calls for strikes, boycotts, abstentions are given for whole State because of the issues/disputes of a particular Association. Not only this, such office-bearers take undue advantage of their positions even in the elections of State Bar Councils. This apart, such practice has been encouraging the attitude of groupism in the Associations.

In case of any election- dispute of Bar Association election coming before the Council in which any Bar Council members have interest, such members succeed in applying their undue influence in the State Bar Councils to get the dispute desided as they like Therefore, the Council has felt it necessary to stop such practice.

The office-bearers of any Bar Association would not be eligible to contest the elections of State Bar Councils.

However, the word "office-bearer" shall include Presidents, Vice-Presidents, Secretaries/General Secretaries only.

The office-bearers of lower office than the aforesaid posts shall be eligible to contest the elections of State Bar Councils. Moreover, since the office-bearers of Supreme Court Bar Association are not supposed to indulge in the election disputes of any local Bar Association and Supreme Court Bar Association has the members from throughout the country, the office-bearers of Supreme Court Bar Association shall not be debarred from contesting the elections of the State Bar Councils to which they are enrolled.

The Council has also framed a separate Rule for membership of Bar Councils. Therefore, there is an urgent need to take steps for electoral reforms in the elections of State Bar Councils and member, Bar Council of India. And in view of the aforesaid reasons, the Bar Council of India has framed the following Rules laying down the mandatory guidelines for the elections to the State Bar Councils to be followed by them, and if need be to get their Rules amended soon, so that no elections are held henceforth in violation of these Rules and Guidelines.

CHAPTER I

1. Short Title

These Rules shall be called as the "Bar Council of India Uniform Rules (and Guidelines)for the elections of Bar Councils, 2016."

2 . Extent

These rules will be applicable to all the Bar Councils constituted under the Advocates Act 1961 and to all Advocates whose names appear on the State rolls being maintained by the State Bar Councils under section 17 of the Advocates Act, 1961.

3. Date of commencement

These rules shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India.

4. Definitions

(a) Act means the Advocates Act, 1961.

(b) Advocate means as an advocate whose name is entered in the roll of Advocates being maintained by the State Bar Councils under section 17 of the Advocates Act, 1961.

(c) State Bar Council means the State Bar Councils as defined under Section 3(1) (a) of the Advocates Act, 1961.

(d) A non-practicing Advocate means an Advocate enrolled with any State Bar Council, but not in actual practice of Law and is engaged in some other public or private job, business, contract etc. not related to Legal profession: and who has been so declared under Rule 13 and Rule 20.2 of BCI Certificate and Place of Practice(Verification) Rules, 2015 or whose name does not find place in Register (of verified Advocates) maintained in the State Bar Councils and Bar Council of India.

(e) Fake Person is a person who is involved in practicing in Courts of Law/Tribunals or other Legal forums without having a valid degree in law(without any enrolment in any state Bar Council) and appear in Courts, Tribunals or Forums illegally posing as an Advocate.

(f) Bar Association:-The word Bar Association shall include any Association of Advocates, by whatsoever name it may be known, which is either registered under the Society Registration Act or recognized by the State Bar council or by the High Court or the Local(District or Taluka, sub-Divisional Courts) or by the Bar Council of India.

Office-Bearer of the Bar Association:- The word office-bearer shall mean and include the President, Vice-President, General Secretary or Secretary or Secretary General of the Bar Association, but it will not include Joint Secretary, Assistant Secretary or any other office-bearer. Provided that this restriction will not be applicable to the office-bearers of Supreme Court Bar Association.

Chapter II

Returning Officer (R.O.):-

The Returning Officer to conduct the elections of any State Bar Council shall be a former Chief Justice of any High Court or a former Judge of any High Court having atleast 7 years of experience preferably as a Judge of any High Court. But if such Judges of other States are not available then Chief Justice or Judges of own State could be appointed.

The R.O. shall be appointed/nominated by the State Bar Council with the approval of Bar Council of India.

Assistant Returning Officers (A. R. Os):-

There shall be two Assistant Returning Officers who shall be nominated by the State Bar Council with the approval of Bar Council of India. These Assistant Returning Officers will preferably be Advocates of some other states having standing of atleast 25 years; But if such Advocates are not available, the Advocates of same State could be appointed.

The team/personnel for conducting elections and counting of votes (ballots) shall be hired on the advice of R.O. from some other State. The counting team should have sufficient experience of counting of preferential votes either of Rajya Sabha elections or of State Bar Council elections.

In the elections of State Bar Council, every voter shall be required to exercise at least 5 preferences/options on their ballot papers failing which the ballot may be declared invalid depending on the discretion of Returning Officer.

An Advocate shall not be eligible to contest the elections of any State Bar Council, if he has been convicted for an offence involving moral turpitude.

Chapter III

Office-bearers of Bar Associations ineligible to be the members of Bar Council:-

An Advocate, who is an office-bearer of any Bar Association (except Supreme Court Bar Association) shall not be eligible to contest the election of State Bar Council. However, if such office-bearer has already resigned from his post before the date of notification of elections of State Bar Council, he shall be entitled to contest the elections of State Bar Council.

The Returning Officer shall reject the nomination paper of any such persons who were/are office-bearers of any Bar Association on the date of notification of elections of concerned State Bar Councils.

Chapter IV

Preliminary and final Electoral rolls/ Those who have not paid subscription amount of welfare u/R 40, Chapter II of PART-VT of Bar Council of India Rules shall be Disqualified:

The preliminary electoral roll shall be prepared soon after publication of list of non-practicing Advocates under the Verification Rules 2015.

The list of non-practicing Advocates shall be sent by the State Bar Council to every Bar Association and the notice sent to individual through post shall mention clearly about the amount U/ R 40 to be paid by the Advocate and the notice shall also mention that if the Advocate does not pay the dues U/ R 40 Chapter II of Part-VI of Bar Council of India Rules, within a period of 60 days from the date of publication of notice, his name shall be removed from the roll of Advocates and he shall not be included in the list of voters either of State Bar Council or of any Bar Association: Format of notice to be sent by Bar Council of India to all the State Bar Councils.

After 160 clear days of such publication of notice, the State Bar Council shall publish the final electoral roll containing the names of all those Advocates who have not been included in the list of Non- practicing Advocates under Chapter VI of Bar Council of India Certificate and place of Practice (Verification) Rules, 2015 and who have cleared the welfare amount as required U/ R 40 Chapter II of Part-VI of Bar Council of India Rules. And those who have passed All India Bar Examination. (This part of condition shall be applicable on only those persons who have been enrolled after 2010). No election of any State Bar Council shall be held unless the list of non-practicing Advocates is finally published as per Verification Rules.

After publication of final electoral roll as provided under Verification Rules, the date of filing of nomination paper shall be published by the R.O. in newspaper as well as on the notice Boards of Bar Councils. The Bar Council shall also send the copy of notice for information to all the Bar Association. However, no election can be challenged or could be declared invalid merely on the ground of any irregularity of notice under these Rules.

Chapter V

The electoral roll shall contain affixed (scanned) copy of the photograph of the voter(opposite to his name) which shall be taken from the photo attached in the verification form.

Nomination fee:-

The nomination fee for elections of the State Bar Councils shall be Rs. 30,000/- from each candidates. The nomination fee shall be non-refundable and will be used for meeting the expenses of election. The remaining amount, if any, shall be deposited in benevolent fund of State Bar Council.

Time frame for Election & couning:-

The election of State Bar Council shall be held within 60 days from the date of publication of final electoral roll. However, if for any reason, the elections are not held within this period of 60 days, the fresh list of voters will be prepared including the names of all newly enrolled Advocates who got enrolled 75 days before the date fixed afresh for election and election process shall begin afresh. The counting shall begin preferably within 15 days from the date of completion of voting.

All the State Bar Councils shall try as far as it is feasible and practicable, to conclude the process of counting within a period of 30 days from the day it starts. The place, timings, procedure etc. of counting shall be discretion of R.O. and A.R.Os.

The R.O. shall ensure full security, safety of ballot papers and transparency in the counting. But at the same time, he shall take all suitable measures to protect the ballot papers and counting staff from any unlawful assembly, undue pressure or hooliganism. If need be, he can seek the help of local police by writing to higher police officials through the Chief Justice of High Court of State.

Chapter VI

Election Tribunals:-

There shall be an State Election Tribunal to adjudicate any Election Petition relating to any disputes with regard to elections of the members of State Bar Council for every State Bar Council. The Tribunal shall be headed by a former Chief Justice of a High Court, a former Judge of a High Court and a Senior Advocate.

The Chairperson and members of the Tribunal shall be from some other State and not from the State where the State Bar Council is situated. The Tribunal shall be constituted by the State Bar Council with the approval of Bar Council of India.

Note:- It is made clear that other State means a Judge whose permanent residence is not in the State where the State Bar Council situates. A former Judge of other State, who had served as Chief Justice or as a Judge of the High Court where State Bar Council situates, but belongs to some other State, can be appointed as R.O. or Chairman of the State Bar Council Election Tribunal.

An appeal shall lie to "Bar Council of India Election Tribunal" against any order passed by the Election Tribunal for the State Bar Councils. The Bar Council of India Election Tribunal shall be headed by a former Judge of Supreme Court and it shall consist of two former Judges of High Court(s) and two Senior Advocates.

The decision of Bar Council of India Election Tribunal shall be final. The Bar Council of India shall constitute the Bar Council of India Election tribunal, after seeking the consent of Hon'ble former Judges and the senior Advocates.

The Tribunal shall have power to adjudicate in the election dispute and shall have all the powers to pass interim orders whenever it feels the necessity to do so.

Miscellaneous

Rules to have overriding effect:-

The provisions of these Rules shall have overriding effect over all other previous Rules of Bar Council of India or of any State Bar Council with regard to elections of State Bar Council and Bar Council of India.

Removal of difficulties

In case of any doubt or dispute as to the meaning, interpretation, execution of these Rules arises, the Bar Council of India shall be the final authority to settle such issues and its decision thereon shall be final.

SRIMANTO SEN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./286/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.09.23 15:59:51 +05'30'